

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 86 / 2015

संस्थित दिनांक -30 / 01 / 15

फा.नं. 234503000902015

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरुद्ध / /

शंकरदास पिता घुरकुदास जाति पनिका उम्र 30 वर्ष,
 निवासी बड़ी घोंदी थाना रूपझर जिला बालाघाट म.प्र.।

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 01 / 07 / 2017 को घोषित }

1. अभियुक्त शंकरदास पर भा.द.वि. की धारा-457, 354 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 23 / 10 / 2014 को समय 23:00 बजे ग्राम बड़ीघोंदी में परिवादी सुनीताबाई के मकान में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन कारित कर फरियादी सुनीताबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसकी जाघों के पास बैठकर सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी सुनीताबाई द्वारा दिनांक 24.10.14 को थाना रूपझर में इस आशय की शिकायत दर्ज करायी है कि गुरुवार को दीपावली की रात्रि करीब 10:00 बजे अपनी लड़की सपना को छपरी में खाट में बैठाकर दूध पिला रही थी उसी दौरान उसकी नींद लग गयी। उसके बाद लगा कि कोई उसके पैरों पर बैठा है। जिसके बाद घबराकर देखा तो पड़ोसी शंकरदास उसकी जाघों में बैठा था। उसने उसके जागते ही एक हाथ से मुह बंद कर दिया और बुरी नियत से दूसरे हाथ से सीने पर हाथ फैरने लगा। उसने चिल्लाकर उसकी मां लीलाबतीबाई को आवाज दी जो सामने अपने घर से निकल कर आयी तो आरोपी उसके घर से निकलकर भाग गया। जिसके बाद उसने अपनी मां को तथा पति को घटना की पूरी बात बताई। वह रात्रि होने के कारण अगले दिन सुबह थाना में शिकायत दर्ज कराने गयी। सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी दौरान विवेचना घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन लेख किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष है

तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 23/10/2014 को समय 23:00 बजे ग्राम बड़ीघोंदी परिवारी सुनीताबाई के मकान में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रिप्रछन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन कारित किया ?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सुनीताबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसकी जाघों के पास बैठकर सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

::सकारण व निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. परिवारी सुनीताबाई (अ.सा.1) का कथन है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को जानती है। घटना दीवाली के समय एक वर्ष पूर्व शाम के सात बजे की है। वह अपनी घर की छपरी में खाट पर लेटी हुई थी और अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी। उसी समय उसे झपकी लग गयी। उसने अपनी छपरी का दरवाजा लटका दिया था, कुंदा नहीं लगाया था। अचानक नींद खुली तो उसने देखा कि उसके उपर शंकरदास बैठा हुआ था तथा वह जैसे ही उठी तो आरोपी शंकरदास ने उसका मुह दबा दिया और उसके सीने पर हाथ फेरने लगा था। तभी उसने अपनी मां लीलाबतीबाई को आवाज लगायी तो आरोपी उसके घर से भाग गया। उसकी मां के आने पर उसने पूरी बात बतायी। रात्रि होने तथा थाना दूर होने के कारण वह उसी दिन रिपोर्ट करने नहीं गयी। उसने दूसरे दिन सुबह थाना रूपझर में रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज करायी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशांदाही पर मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। उसने घटना के संबंध में उक्त बात अपने पति के आने पर बतायी थी। उसका मुलाहिजा पुलिस ने बालाघाट अस्पताल में करवाया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने घटना दिनांक बताने में असमर्थता व्यक्त की। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने आरोपी और उनके मध्य जमीन का विवाद होने तथा घटना दिनांक को उसका आरोपी की पत्नि एवं मां के मध्य झगड़ा होने के तथ्यों से इंकार किया। साक्षी का कथन है कि उसके साथ घटना होने के बाद अगले दिन झगड़ा हुआ था। उसकी झोपड़ी के पास सुखदास, लक्ष्मीबाई एवं कुंदनसिंह का मकान है। उसने रात्रि में जोर-जोर से आवाज लगायी तब उसकी मां दौड़कर आयी। घटना के दिन उसके पिताजी, भाई, भाभी और माँ घर पर थे। आवाज सुनकर भाई, भाभी और पिताजी नहीं आये। साक्षी का

स्पष्टीकरण है कि उसने मां को आवाज लगायी तथा भाई, भाभी और पिता अलग मकान में रहते हैं, वह क्यों आर्येंगे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि मौकानक्शा थाना में बैठकर बनाया गया था। साक्षी के अनुसार पुलिसवाले उसके घर पर देखने आये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी और उसने रंजिश वश आरोपी को झूठा फंसाया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रही है। साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में किये गये कथनों का पूर्ण समर्थन किया है।

6. हीराबतीबाई (अ.सा.2) का कथन है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को जानती है तथा सुनीताबाई उसकी लड़की है। उसे आज घटना की तारीख याद नहीं है, घटना एक वर्ष पूर्व दीवाली के समय की है। उसकी लड़की उसके पड़ोस में ही रहती है। लड़की के चिल्लाने की आवाज आने पर वह दौड़कर गयी तो देखा कि एक व्यक्ति वहां से निकलकर भाग रहा था। उसकी लड़की ने उसे बताया था कि उसके साथ आरोपी शंकरदास ने खीचतान कर उसके कपड़ों का खींचा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी का कथन है कि उसकी लड़की ने उसे बताया था कि आरोपी शंकरदास ने उसके ऊपर पैर पर बैठकर मुह दबाया और बेईज्जती की नियत से एक हाथ से स्तन पर हाथ फेरने लगा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और पुलिस ने उससे पूछताछ न कर उसके बयान नहीं ली थी। यद्यपि साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी बेटी ने उसे घटना के संबंध में सही अथवा गलत बताया था वह नहीं बता सकती। तथापि साक्षी का स्पष्टीकरण है कि सही बात होगी तभी बताया था। साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को भागते हुए देखा था परंतु उसे पहचाना नहीं था। साक्षी की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रही है तथा उसने अपने परीक्षण में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है।

7. बुद्धराम (अ.सा.4) का कथन है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को जानता है तथा प्रार्थी सुनीताबाई उसकी पत्नी है। घटना उसके साक्ष्य देने से एक वर्ष पूर्व दीवाली के समय की है। वह ग्राम उकवा के पास काम करने गया था। रात्रि 10:00 बजे घर पहुंचा तो उसकी पत्नि रो रही थी। जिसने पूछने पर बताया कि आरोपी उसकी जांघ पर चढ़ गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पत्नि सुनीता ने उसे बताया था कि आरोपी शंकरदास ने उसकी जांघ पर चढ़कर एक हाथ से मुह दबाया और दूसरे हाथ से सीने में हाथ फेरा था। सुनीता ने उसे बताया था कि उसने चिल्लाकर अपनी मां को बुलाया था जैसे ही उसकी मां आयी तो आरोपी शंकरदास वहां से भाग गया। घटना के समय रात अधिक होने के कारण दूसरे दिन उसकी पत्नि रिपोर्ट लिखाने थाना रूपझर गयी थी। प्रतिपरीक्षण

में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को सुबह आरोपी शंकरदास की पत्नि, मां एवं उसकी पत्नि सुनीता का झगड़ा हुआ था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव का अस्वीकार किया है कि झगड़े में उसकी पत्नि सुनीता कह रही थी कि वह उसे फसा देगी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसकी पत्नि सुनीता ने उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी। इसलिए वह उसके साथ रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे और सुबह झगड़ा होने के कारण सुनीता ने आरोपी के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज करायी थी। उक्त साक्षी की साक्ष्य भी प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रही है तथा उसने घटना के समय आरोपी की अनुपस्थिति को अस्वीकार किया है। यद्यपि साक्षी ने परिवादी सुनीता के विपरीत उक्त तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसकी पत्नी परिवादी सुनीता तथा आरोपी की माँ एवं पत्नी के मध्य झगड़ा हुआ था। तथापि साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि उक्त झगड़े के कारण उसकी पत्नी ने आरोपी के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। उक्त साक्षी परिवादी सुनीता का पति है, जिसके कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि यह संभव प्रतीत नहीं होता कि कोई पति अपनी पत्नी की ईज्जत के संबंध में मात्र महिलाओं के आपसी झगड़े हेतु झूठे कथन करें, जबकि उसकी स्वयं आरोपी से कोई रंजीश दर्शित नहीं है।

8. परसुदास (अ.सा.3) का कथन है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को जानता है तथा प्रार्थी सुनीताबाई उसकी लड़की है। घटना उसके साक्ष्य देने से दो वर्ष पूर्व दीवाली के समय की है। वह कोटवार होने के कारण ग्राम बड़ीघोंदी गया था। अगले दिन चार बजे घर पहुंचा तो उसी लड़की ने उसे बताया कि उसका आरोपी के साथ झगड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने घटना दिनांक 23.10.14 को होना स्वीकार कर उसकी पत्नि और उसे सुनीताबाई के घर पर सोने के दौरान पड़ोस के आरोपी शंकरदास द्वारा पैर पर बैठकर सीना दबाने तथा सुनीताबाई के चिल्लाने पर आरोपी के घर से निकलकर भाग जाने वाली बात से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि शंकरदास तथा सुनीताबाई चाचा-भतीजी हैं तथा पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने यद्यपि आरोपी द्वारा परिवादी के साथ आरोपित अपराध का समर्थन नहीं किया है, तथापि साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कहानी का आंशिक समर्थन होता है कि घटना के समय परिवादी एवं आरोपी के मध्य कुछ अप्रिय हुआ था।

9. जगतसिंह (अ.सा.6) के अनुसार वह हाजिर अदालत आरोपी को जानता है वह अपने ससुराल ग्राम घोंदी गया हुआ था। जहां पुलिसवालों के कहने पर उसने प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किये थे। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार

किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया था और आरोपी से समझौता होने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

10. विवेचक साक्षी राजिक सिद्धिकी (अ.सा.5) का कथन है कि वह दिनांक 24.10.14 को थाना रूपझर में पदस्थापना के दौरान उसे थाना प्रभारी महोदय से अपराध क्रमांक 120/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल ग्राम घोंदी जाकर प्रार्थी की निशांदेही पर उक्त दिनांक को ही मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गवाह बुद्धराम, सोहद्राबाई, परसुराम, सुखबती, हीराबती, सुनीताबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 30.01.15 को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता घरलूदास को दी गयी थी। साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है, जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

11. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक 23/10/2014 को समय 23:00 बजे ग्राम बड़ीघोंदी में परिवादी सुनीताबाई के मकान में फरियादी सुनीताबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसकी जाघों के पास बैठकर सीना दबाकर अपराधिक बल का प्रयोग किया गया, क्योंकि साक्षियों की साक्ष्य घटना के संबंध में अखण्डनीय है, जिनपर अविश्वास करने का कोई कारण दर्शित नहीं है। बचाव पक्ष का रंजीशवश परिवादी द्वारा आरोपी को झूठा फंसाने का तथ्य उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की महिला के संबंध में यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि वह अन्य महिला से झगड़े के बदले के लिये अपनी ईज्जत दांव पर लगाकर आरोपी के विरुद्ध झूठे लांछन लगायेगी, जबकि उसके पास अन्य धाराओं के अपराध के आरोप के संबंध में अवसर उपलब्ध था। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत राजेन्द्र वि० राजस्थान राज. 1997 सी.आर.एल.ले.3578 अवलोकनीय है। मात्र दिनांक तथा समय के संबंध में साक्षीगण के मामूली लोपों के आधार पर साक्ष्य खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि घटना के दो वर्ष बाद साक्षीगण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घटना के समय तथा दिनांक का सटीक कथन करें।

12. जहाँ तक धारा 457 के अपराध का प्रश्न है, प्रकरण में यह दर्शित करने हेतु कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त ने गृह अतिचार के कार्य को छिपाने के लिये कोई सावधानी बरती थी अथवा गृहभेदन किया था। स्वयं परिवादी सुनीता अ.सा.01 का कथन है कि उसने छपरी का दरवाजा लटका दिया था, कुंदा नहीं लगाया था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा-451 भा.दं०सं० के लिये दोषसिद्ध किया जाना उचित है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत जलदीपसिंह (1952)2

राज. 745 तथा बोललाल 1986 सी.आर.एल.जे. 650(म.प्र.) अवलोकनीय है।

13. उपरोक्त विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त शंकरदास द्वारा परिवादी सुनीता के घर में कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिये गृह अतिचार कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त शंकरदास को भा.दं०सं० की धारा-451, 354 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

14. आरोपी शंकरदास द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

पुनश्च—

15. दंड के प्रश्न पर आरोपी शंकरदास के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी शंकरदास का यह प्रथम अपराध है। आरोपी शंकरदास एवं फरियादी पक्ष एक ही गांव के होकर आपस में रिश्तेदार है। प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपी के साथ राजीनामा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

16. बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्वदोषसिद्धि दर्शित नहीं है तथा उभयपक्ष के मध्य राजीनामा दर्शित है, परन्तु मात्र उक्त तथ्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध नरम रुख किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अपराध गंभीर है, जिनपर नर्म रुख अख्तियार किये जाने पर समाज में अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी को समुचित दण्ड देना उचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त शंकरदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-451 के अपराध के लिए एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा धारा-354 के अपराध के लिये एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी

शंकरदास को प्रत्येक अर्थदण्ड की राशि के लिये एक-एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

17. अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा-357(1)(बी) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादी सुनीता को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात अपील न होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

19. अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

20. प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 30.01.2015 को कुल एक दिन अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट